माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2017 को आयोजित "नगर विकास एवं आवास विभाग" के कार्यों की समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय/कार्यवाही :–

- शहरों में advertisement tax की वसूली का अधिकार नगर निकाय के पास रहने के संबंध में पूर्ण तथ्यों के साथ समीक्षा करते हुए वित्त विभाग एवं विधि विभाग के परामर्श के साथ प्रस्ताव लाया जाय।
- पटना एवं अन्य शहरों में सिवरेज तथा ड्रेनेज योजनाओं के पानी का उपयोग यथासंभव सिंचाई एवं कृषि में होने के लिए कार्य योजना बनाने हेतु विकास आयुक्त को सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में भी इसका प्रावधान अलग योजना के रूप में राज्य सरकार के व्यय पर किया जाय। आवश्यकतानुसार इसके लिए अलग से कैनाल, चैनल, STP इत्यादि का निर्माण विभिन्न विभागों के माध्यम से कराया जा सकता है।
- यह निर्णय हुआ कि हर घर नल जल निश्चय योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जिन घरों में निजी बोरिंग से जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध है, वैसे घरों को हर घर नल जल निश्चय योजना से लाभान्वित करने की आवश्यकता नही है।
- यह निर्णय हुआ कि घर तक पक्की नाली–गली योजना के अंतर्गत जिन वार्डों में सभी कच्चे गलियों एवं नालियों को पक्का बना दिया गया है, उन वार्डों में क्षतिग्रस्त पुरानी सड़कों एवं नालियों के जीर्णोद्धार की योजना ली जा सकती है, परन्तु ऐसी योजनाएं लेने से पूर्व संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं पूरी तरह से संतुष्ट हो लें।
- यह भी निर्देश दिया गया कि गलियों के निर्माण के साथ ही नालियों का भी निर्माण साथ–साथ कर लिया जाय ताकि बार–बार सड़क को तोड़ने की आवश्यकता नहीं हो। यदि उक्त गली में नल–जल योजना के अंतर्गत कार्य होना है तो पानी के पाईपलाईन को भी साथ ही यथासंभव लगा देना है।
- निर्णय लिया गया कि शहरों में अंतर–वार्ड की सड़कों अथवा वार्ड के अन्तर्गत सड़कों, जिनका निर्माण नाली–गली निश्चय योजना के अंतर्गत नहीं हो पाता है, उनका निर्माण "योजना एवं विकास विभाग" के द्वारा कार्यान्वित योजना "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" के अंतर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है और जो सड़कें उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत हो जाती हैं, उसे नाली–गली निश्चय योजना की सूची से हटा दिया जाय।
- यह निर्णय हुआ कि यदि राज्य सरकार के किसी विभाग की जमीन पर कोई स्लम अवस्थित है तो उक्त जमीन के अंश में Affordable Housing and Slum Re-development Policy के तहत भवनों का निर्माण कराया जा सकता है ताकि एक तरफ आवास की समस्या का भी निदान हो और ODF की दिशा में भी कार्य हो सके। इस संबंध में विभिन्न विभागों से विकास आयुक्त के स्तर पर समन्वय किया जाय और ऐसे प्रस्तावों पर विधिवत् कार्रवाई संबंधित विभाग से सुनिश्चित करायी जाये।
- निर्देश दिया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में किस तरह का मॉडल (मुजफ्फरपुर, सिलाव आदि), किस श्रेणी के नगर निकाय में उपयुक्त होगा, इसके लिए नीति निर्धारण किया जाय।

- शहरी क्षेत्रों में शवदाह गृहों के संबंध में निर्देश दिया गया कि सभी जगह विद्युत शवदाह गृह के साथ–साथ आवश्यकता के अनुसार पारम्परिक (लकड़ी का) तरीके से शव जलाने की व्यवस्था हेतु छोटे–छोटे चबूतरे (शेड) का निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कराया जाए।
- यह भी निर्देश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के पहलेजा एवं सिमरिया में अवस्थित शवदाह गृहों का जीर्णोद्धार नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा ही किया जाय।
- शहरी गरीबों को Recognisation of Prior Learning (RPL) के तहत प्रशिक्षित करने हेतु कौशल विकास मिशन के दिशानिर्देश में जोड़ते हुए RPL Centre का भी चयन किया जाय। नगर विकास एवं आवास विभाग कौशल विकास मिशन से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराये।
- Affordable Housing and Slum Re-development Policy, 2017 के संबंध में CREDAI, Builder Association एवं Architect Association के द्वारा दिए गए सुझावों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई किया जाय।
- वर्ष 2017–18 के लिए मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कार का मापदंड ODF के आधार पर रखने पर सहमति दी गयी।
- नमामि गंगे योजना के तहत State Programme Management Group (SPMG) के रूप में संविदा नियुक्ति के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी एजेंसी का चयन कर कार्य कराने के संबंध में प्रस्ताव लाने का निदेश दिया गया।
- सिवरेज, ड्रेनेज एवं जलापूर्ति योजनाओं में किसी भी सड़क पर 250 मीटर से आगे कार्य करने के पूर्व कटे हुए रोड का पूर्ण restoration को अनिवार्य बनाने के लिए दिशानिर्देश निर्गत करने पर सहमति दी गयी।
- सभी नगर निकायों के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों की दो–दिवसीय कार्यशाला पटना में आयोजित करने हेतु अक्टूबर माह में तिथि के निर्धारण हेतु प्रस्ताव उपस्थापित की जा सकती है।

ह0/–
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.–01/स्था0 (विविध)–18/2017.....न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक.–01/स्था0 (विविध)–18/2017.....न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक.–01/स्था0 (विविध)–18/2017.....6096.....न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक.....12/9/17

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/9/2017
प्रधान सचिव